समकालीन विश्व में शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता

डॉ. अजीत

सहायक आचार्य–राजनीति विज्ञान
राजकीय कमला मोदी महिला
महाविद्यालय, नीमकाथाना।

सारांश :– अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का सिद्धांत राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का प्रमुख सिद्धांत है। शक्ति संतुलन को तुल्यभारिता, गुरूता, असंतुलन, व्यवस्था, नीति तथा यथार्थवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। संतुलन अस्थिरता, सक्रिय प्रयत्नों द्वारा प्राप्ति, यथा पूर्व स्थिति का समर्थक, बड़ी शक्तियां शक्ति संतुलन के कार्यकर्ता, राज्यों की बहु संख्या एक अनिवार्य शर्त, राष्ट्रहित इसका प्रमुख आधार होता है, आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। शांति एवं सुरक्षा इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। क्षतिपूर्ति, गठबंधन, हस्तक्षेप तथा अहस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य, शस्त्रीकरण तथा निशस्त्रीकरण आदि शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रमुख साधन है। शक्ति संतुलन के गुण हैं – अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का स्रोत, राज्यों की बहु संख्या निश्चित रहती है, छोटे राज्यों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है आदि तथा इसके अवगुण हैं – यह शांति निश्चित नहीं कर सकता, राष्ट्र स्थिर इकाइयां नहीं हैं, संकीर्ण आधार है, शान्ति की यांत्रिक धारणा है, आदि। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यूरोपीय प्रधानता की समाप्ति, द्विध्रुवीकरण का उदय तथा उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के लुप्त होने से शक्ति संतुलन की धारणा पुरानी पड़ी है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर आज भी इसका महत्व बना हुआ है।

मुख्य शब्द – तुल्यभारिता, मध्यवर्ती राज्य, संतुलक, सुरक्षित सीमांत, अंतर्राष्ट्रीयकर्त्ता।

शोध पत्र का उद्देश्य – शक्ति संतुलन के अर्थ, आधारभूत तत्वों, गुणावगुणों तथा समकालीन विश्व में इसकी प्रासंगिकता एवं महत्त्व का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – शोध उद्देश्य के अनुरूप तथ्यात्मक, विवेचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है। पूर्व में उपलब्ध तथ्यों व सूचनाओं की विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक विवेचन का प्रयास किया गया है। शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिनका तार्किक व अर्थपूर्ण विवेचन कर निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की गई है।

राष्ट्रों के बीच संबंधों एवं राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति में शक्ति संतुलन की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। विद्वानों ने इसे अलग–अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ विद्वान इसे नीति व्यवस्था, असंतुलन, तुल्यभारिता, गुरूता और यथार्थवाद के प्रतीक के रूप में परिभाषित करते है। जैसे मार्गेन्थाऊ तथा थामसन इसको नीति के रूप में, टेलर, चार्ल्स लर्च एवं राइट इसे व्यवस्था के रूप में, श्वारजनबर्गर, कैस्लरे तथा फे इसे शक्ति संबंधों में संतुलन के रूप में, वोल्फर एवं एवोग्टस इसे गुरूता तथा असंतुलन के रूप में तथा नबूर, हेल एवं बल्लम ने इसे यथार्थ के प्रतीक के रूप में परिभाषित किया है। कुल मिलाकर शक्ति संतुलन का तात्पर्य है राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच न्यायपूर्ण तुल्यभारिता जो किसी राज्य को दूसरे राज्य पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके।

शक्ति संतुलन की अवधारणा अपनी प्रकृति से बहुविशेषात्मक है। इसकी एक विशेषता है 'संतुलन' जो परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों में गत्यात्मकता के कारण सदा बदलता रहता है। इसमें बड़े राष्ट्र कार्यकर्ता होते हैं तथा छोटे राष्ट्र दर्शक या खेल के शिकार की भूमिका में होते हैं। शक्ति संतुलन मूलतः शान्ति स्थापक यंत्र नहीं है एवं इसका आखिरी साधन युद्ध ही होता है। शक्ति संतुलन अक्सर यथापूर्व स्थिति का समर्थक होता है। इसकी असली कसौटी युद्ध है जब युद्ध प्रारंभ होता है तो संतुलन समाप्त हो जाता है। इसे मानवीय प्रयत्नों द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। शक्ति संतुलन में व्यवस्थाएं स्थायी नहीं होती तथा कुछ विद्वान मानते है कि यह ऐसी स्थिति है, जिसमें विरोधी राज्य शक्ति में प्रायः एक समान ही होते है तथा किसी भी एक या दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय हितों को मध्यनजर रखते हुए

कार्य कर सकते हैं। यह तभी क्रियान्वित होती है जब बहुत सी बड़ी शक्तियां हो, राष्ट्रीय हित इसका आधार होता है तथा इसका सुनहरा युग 1815 से लेकर 1914 तक का युग था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी भूमिका अत्यन्त सीमित है। शांति एवं सुरक्षा शक्ति संतुलन का मुख्य प्रयोजन है। शक्ति को संतुलित करने का प्रमुख प्रयोजन राज्यों के मध्य इस प्रकार का शक्ति वितरण बनाना है, जो किसी को भी धमकी या बल प्रयोग द्वारा अपनी इच्छा अन्यों पर थोपने से रोक सके। इस प्रकार संतुलन स्थापित करके आक्रमण को रोकना शांति स्थापित करना ही है, जहाँ तक शक्ति संतुलन के आधारभूत तत्वों की बात है एक राष्ट्र जो शक्ति संतुलन की अवधारणा को अपनाता है अगर परिस्थितियां ऐसा चाहें तो उसे अपने समझौते या संधिया या विचारधारा परिवर्तन करने हेतु तैयार रहना चाहिए। अगर कोई राज्य यह पाता है कि किसी विशेष शक्ति का प्रभाव धमकाने वाली सीमा तक बढ़ रहा है तो संतुलन बनाये रखने के लिए उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। शक्ति संतुलन की यह अवधारणा है कि युद्ध में कोई भी ईकाई पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होनी चाहिए। युद्ध का उद्देश्य है गलती करने वाले कर्ता की शक्ति को कम करना तथा संतुलन बनाये रखना। युद्ध में पराजित राज्य को व्यवस्था में पुनः शामिल करना होता है।

शक्ति संतुलन एक खेल है – शक्ति का खेल – जिसे कई कार्यकर्ता विभिन्न साधनों की सहायता से तथा विभिन्न ढंगों से खेलते हैं। इसके मुख्य **साधन** निम्न हैं :–

(i) **मुआवजा/क्षतिपूर्ति** – सामान्यतया इससे तात्पर्य उस राष्ट्र की भूमि को बांटकर या समामेलन से लिया जाता है, जिसकी शक्ति संतुलन के लिए खतरा होती है। अठाहरवीं तथा उन्नीसवीं सदियों में भू–क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति उस शक्ति संतुलन को बनाये रखने हेतु आम तरीका था, जो किसी एक राष्ट्र द्वारा भू–अधिकार करके अस्त–व्यस्त कर दिया जाता थ। जैसे – यूरोप तथा इसके बाहर के स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि का बॉरबानी तथा हैप्सबर्गो के बीच बंटवारा तथा 1913 की यूर्टेक्ट की संधि।

(ii) **गठबंधन** – यह एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा राष्ट्रों का संगठन ऐसे सैनिक या सुरक्षा समझौते या संधियां करता है, जिसका उद्देश्य विरोधी राष्ट्रों की शक्ति की तुलना में उनकी अपनी शक्ति का संवर्धन करना होता है। इसी कारण अनेक विद्वान इस तरीके को गठबंधनों तथा प्रतिगठबंधनों का नाम देते हैं।

(iii) **हस्तक्षेप/अहस्तक्षेप** – हस्तक्षेप किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में तानाशाही दखलंदाजी होती है, ताकि कोई विशेष वांछित स्थिति बनाई रखी जा सकें या उसमें परिवर्तन किया जा सके। अहस्तक्षेप हस्तक्षेप के विपरीत है, जिसका अर्थ है किसी विशिष्ट परिस्थिति में जानबूझकर ऐसी कार्यवाही न करना जो विरोधी के लिए लाभकारी हो सकती है।

(iv) **फूट डालो व शासन करो** – यह शत्रु को कमजोर करने की पुरानी नीति है, इसे ऐसे सभी राष्ट्रों ने अपनाया है, जो अपने प्रतिद्वंदियों को विभाजित करके या उनमें फूट डालकर कमजोर करना चाहते हैं।

(v) **मध्यवर्ती राज्य** – यह वह राज्य होता है, जो कमजोर होता है, परन्तु जो दो या अधिक ताकतवर राज्यों के लिए राजनीतिक महत्व का होता है। दोनों में से प्रत्येक बलवान शक्ति इस मध्यवर्ती राज्य को अपने क्षेत्र में लाना चाहती है, परंतु इसे इतना महत्वपूर्ण समझती है, अगर ऐसा संभव नहीं तो कोई भी दूसरी बलवान शक्ति को ऐसी आज्ञा नहीं दी जा सकती।

(vi) **शस्त्रीकरण तथा निशस्त्रीकरण** – सभी राष्ट्र विश्व में शक्ति संबंध बनाये रखने के लिए साधन के रूप में सैनिक शस्त्रीकरण को बड़ा महत्व देती हैं। किसी संभावित आक्रमण से बचाव हेतु इसका प्रयोग किया जाता है तथापि शस्त्रीकरण ने वर्तमान में भयंकर रूप धारण कर लिया है, जो विश्व शांति को समाप्त भी कर सकती है। परिणामतः शस्त्रीकरण के विपरीत निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिए आदर्श साधन समझे जाते हैं।

(vii) **संतुलन धारक या संतुलक** – इस व्यवस्था में एक तराजू के समान दो पलड़े तथा एक तीसरा तत्व संतुलन धारक या संतुलक होता है। संतुलक एक ऐसा राष्ट्र या राष्ट्र समूह होता है, जो विरोधियों की नीतियों से अलग रहता है। परन्तु यदि संतुलन का एक भी दल अनुचित रूप से कमजोर हो जाता है, तो संतुलन को खतरा बन जायें, संतुलक उससे मिल जाता है तथा संतुलन बनाये रखने में सहायक होता है।

शक्ति संतुलन के गुण

शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता पैदा करता है। यह प्रभावशाली शक्ति व्यवस्था तथा शांति का साधन है। इसने कई बार युद्धों को रोका है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिवर्तनशील स्वरूप के अनुकूल है। यह संबंधों में निरन्तर सामंजस्य तथा प्रति सामंजस्य की स्थापना द्वारा राष्ट्रों में किसी युद्ध के खतरों से सचेत करता रहता है। इससे राज्यों की बहुसंख्या सुनिश्चित रहती है, क्योंकि यह विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच शक्ति संबंधों में एक संतुलन पैदा करता है तथा यह मानता है कि किसी भी राज्य को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। यह छोटे राज्यों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। इसके अधीन कोई भी राष्ट्र पूर्णतया नष्ट नहीं किया जा सकता तथा सभी राज्यों का अस्तित्व बना रहता है। यह युद्ध को हतोत्साहित करता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य यह जानता है कि अगर वह शक्तिशाली बनने की कोशिश करेगा तो दूसरे राष्ट्र उसके इस कार्य के विरोधी हो जायेगें। यह साम्राज्यवाद पर भी अंकुश लगाता है, क्योंकि इसके अनुसार कोई भी छोटा राज्य किसी बड़े राज्य द्वारा पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति तथा व्यवस्था बनायें रखने का स्रोत है। यह संबंधों में यथा पूर्व स्थिति का समर्थन करता है।

शक्त संतुलन के अवगुण

शक्ति संतुलन से शांति सुनिश्चित नहीं रहती। अपने स्वर्णकाल में भी यह बड़े राज्यों द्वारा छोटे राज्यों पर प्रभुसत्ता को थोपने को रोक नहीं सका था। इसके खिलाफ एक अन्य तर्क यह है कि राष्ट्र स्थिर इकाइयां नहीं है। वे सैनिक आक्रमणों द्वारा भू–क्षेत्रों पर अधिकार करके तथा संधिया करके अपनी शक्ति को बढाते है। एक शक्ति की प्रधानता से भी शांति बनाये रखी जा सकती है। शक्ति का असंतुलन न कि शक्ति का संतुलन शांति का रक्षक है। निर्णयात्मक तथा सीमान्त असंतुलन से ही शांति की स्थापना हो सकती है, क्योंकि यदि असंतुलन सीमांत होगा तो दोनों शक्ति परीक्षा के लिए उतावले होगें। शक्ति संतुलन राष्ट्रीय शक्ति के आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष के महत्व को पहचानने में असफल रहा है तथा यह अनुचित रूप से राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में सैनिक शक्ति पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्ष की अवहेलना करता है।

शक्ति संतुलन, शक्ति संबंधों में तुल्यभारिता के संतुलन की स्थिति के रूप में विश्व शांति की यांत्रिक धारणा पेश करता है। शक्ति शक्ति संबंधों के संतुलन पर आधारित नहीं होती। यह अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता तथा नैतिकता पर आधारित होती है। यह एक यांत्रिक ढांचा नहीं अपितु एक मानवीय आदर्श है। यह सिद्धांत विभिन्न राज्यों को समरूप से शक्तिशाली मानता है। व्यवहार में कोई भी दो राज्यों की शक्ति न तो समान होती है और न हो सकती है। साथ में शक्ति संतुलन की यह पूर्वधारणा गलत है कि राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति को ध्यान में रखते हुए पूर्वधारणा पूर्व औद्योगिक तथा राजतंत्रीय यूरोप में ठीक हो सकती थी, परंतु यह पूर्व धारणा आधुनिक युग में हमारी कोई सहायता नहीं करती। यह अनिश्चित भी है, क्योंकि इसका व्यवहार में लागू होना राष्ट्रों की शक्ति के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। राष्ट्रों के शक्ति स्तर के बारे में अवास्तविकता से शक्ति संतुलन व्यवस्था अवास्तविक हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रों की शक्ति का मूल्यांकन सदैव अनिश्चित होता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र शक्ति मूल्यांकन द्वारा निर्धारित शक्ति संतुलन पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए सुरक्षित सीमान्त रखने का प्रयत्न करता है। यह अपनी शक्ति तथा संभावित शक्ति को गुप्त रखता है, क्योंकि सभी राष्ट्रों का सुरक्षित सीमान्त होता है, इसलिए किसी विशेष समय में शक्ति संतुलन हमेशा अवास्तविक होता है। अतः शक्ति संतुलन व्यावहारिक रूप से कभी–कभी ही वास्तविक रूप से क्रियान्वित होता है। इसका प्रयोग सिद्धांत के रूप में अधिक होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्देशक सिद्धांत या संचालक के रूप में शक्ति संतुलन के नाम पर राष्ट्र यथापूर्व स्थिति की नीतियों या यहाँ तक कि साम्राज्यवाद तक को उचित सिद्ध करते है। अंत में कुछ विद्वान इसकी आलोचना में तर्क देते है कि यदि हम मान भी लें कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत ने प्राचीन काल में शक्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखा तो हम यह नहीं मान सकते कि हमारे समय में भी यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पूर्णतया सम्बद्ध सिद्धांत है। युद्धोत्तर काल की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा शक्ति संतुलन में बड़े–बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण अब यह सिद्धांत प्रायः अप्रचलित हो गया है।

समकालीन विश्व में शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता

आधुनिक युग की परिस्थितियां शक्ति संतुलन की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसके अस्पष्ट स्वरूप तथा युद्धोत्तर काल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ढांचे में बड़े–बड़े परिवर्तनों ने शक्ति संतुलन को राष्ट्रों की नीतियों तथा कार्यों का निर्देशन करने के लिए अयोग्य बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यूरोपीय प्रधानता की समाप्ति हो चुकी है। संकीर्ण यूरोपीय

राजनीति से यह वास्तव में विश्वस्तरीय राजनीति बन गई है। जिसमें एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका का महत्व बढ गया। आज यूरोप विश्व राजनीति का केन्द्र नहीं है। इस परिवर्तन के कारण शक्ति संतुलन की प्रक्रिया काफी कम हो गई। मनोवैज्ञानिक वातावरण में बदलाव हुआ है। आज प्रत्येक राज्य अपने हितों को सार्वजनिक हित मानकर पेश करता है तथा इन्हें दूसरों द्वारा स्वीकार करवाने का प्रयत्न करता है। राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में विचारधारा तथा प्रचार का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इससे शक्ति संतुलन की लोकप्रियता कम हुई है। पहले राजनय तथा युद्ध ही विदेश नीतियों का संचालन करने वाले मुख्य उपकरण हुआ करते थे। राजनय के पतन तथा साधन के रूप में युद्ध के नये भय ने दो नए साधनों को जन्म दिया है। प्रचार तथा राजनीतिक युद्ध। अब ये दोनों राष्ट्रीय नीति के मुख्य साधन बन गये है तथा शक्ति संतुलन का महत्व कम कर दिया है। विचारधारा संबंधी विचारों के बढते महत्व ने तथा कम स्पष्ट परन्तु शक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों ने शक्ति संतुलन की प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल स्थितियां पैदा कर दी है। सबसे अधिक दिखाई देने वाला संरचनात्मक परिवर्तन जिसने शक्ति संतुलन की भूमिका को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है वह है शक्ति राजनीति के खेल के कर्ताओं की संख्या में कमी। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमरीका तथा भूतपूर्व सोवियत संध मुख्यकर्ता के रूप में केवल दो ही शक्तियां बच गई थी। शेष सभी राष्ट्रों की शक्ति में पतन होने के कारण शक्ति संरचना इतनी साधारण परन्तु मुश्किल हो गई कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत को लागू करना मुश्किल हो गया।

द्वितीय विश्व युद्धोत्तर द्विध्रुवीकरण की राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की गतिशीलता को कम कर दिया तथा इसने शक्ति संतुलन के अवसर कम कर दिये, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है शक्ति संबंधों में गतिशीलता, संधियों तथा गठबंधनों के बनने और टूटने और फिर बनने की क्षमता हो। शक्ति संतुलन के ढांचे में अन्य महान परिवर्तन द्वारा उपनिवेशीय सीमाओं का लुप्त होना था। विश्व की प्रमुख शक्तियों ने उन्नीसवीं शताब्दी तथा बीसवीं सदी के पांचवें दशक में एशिया, अफ्रीकी तथा अमरीकी महाद्वीपों में अपने उपनिवेशों के भू–क्षेत्रों तथा हितों की कीमत पर दूसरे राष्ट्रों की भूमि पर स्वामित्व प्राप्त करके शांति प्राप्त की। नए क्षेत्रों का स्वामित्व तथा उपनिवेशीय भू–क्षेत्रों का बंटवारा शक्ति संतुलन के मुख्य साधन के रूप में क्रियान्वित किया गया। इस सुविधा से शक्ति संतुलन व्यवस्था में अति आवश्यक लचीलापन आ गया, लेकिन यह लचीलापन युद्धोतर काल में समाप्त हो गया। आज प्रायः सभी उपनिवेशों ने अपने यूरोपीय स्वामियों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तथा शक्ति संबंधों में संपूर्ण कार्यकर्ता बन गए हैं। उपनिवेशों तथा साम्राज्यवाद की समाप्ति से शक्ति संतुलन की क्रियान्विति कम हो गई। शक्ति व्यवस्था में अपनी शक्ति द्वारा अपनी स्थिति निश्चित करने की योग्यता रखने वाली दो उच्चतम शक्तियों के उदय के साथ–साथ संतुलन बनाने वाले या संतुलक के लोप हो जाने से शक्ति संतुलन बनाने वाले या संतुलक के लोप हो जाने से शक्ति संतुलन राजनीति के अवसर काफी कम हो गये हैं। संपूर्ण युद्ध एवं व्यापक विनाश युद्ध के कारण राष्ट्र युद्ध को राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में रद्द करने के लिए बाध्य हो गये हैं। परिणामस्वरूप इसने शक्ति संतुलन की धारणा को बुरी तरह प्रभावित किया जो इस पूर्व धारणा पर आधारित थी कि शक्ति संतुलन को बनाये रखने या पुनः प्राप्त करने के लिए राष्ट्र युद्ध तक भी कर सकता है या उन्हें ऐसा करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों के उदय ने युद्धोत्तर काल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दृष्टि दी है, जिससे शक्ति संतुलन का महत्व काफी कम हो गया है।

निष्कर्ष –

दो महाशक्तियों का आर्विभाव, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ढांचे में निरन्तर द्विध्रुवीकरण, नये साधनों जैसे – सामूहिक सुरक्षा शक्ति व्यवस्था के उपकरण के निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण ने शक्ति संतुलन सिद्धांत को पुराना बना दिया। तथापि यह माना जा सकता है कि शक्ति संतुलन पूर्णतया मृत नहीं है। किसी अन्य व्यावहारिक साधन की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन सामूहिक सुरक्षा की धारणा प्रायः मृतप्राय सी हो गई है तथा विश्व सरकार आज भी एक सपना है। इस कारण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति व्यवस्था की आवश्यकता ने आज भी शक्ति संतुलन की नीतियों को जीवित रखा है। इस परिवर्तनशील युग में शक्ति संतुलन विश्व स्तर पर न सही लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर आज भी क्रियान्वित है। विश्व स्तर पर भी यह विदेश नीति निर्माण तथा संचालन का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। शक्ति संतुलन आज भी बहुत से राष्ट्रों की विदेश नीतियों के निर्माण तथा संचालन में मार्गदर्शन देता है। यह एक क्षेत्र के देशों के बीच के शक्ति संबंधों का सम्बद्ध सिद्धांत है। हम आज भी दक्षिण एशिया, हिन्द महासागर के क्षेत्र में तथा विश्व के दूसरे क्षेत्रों में शक्ति संतुलन की बात करते हैं।

संदर्भ सूची :–

1. महेन्द्र कुमार नन्दलाल ; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी
2. पुष्पेश पंत, श्रीपाल जैन ; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मीनाक्षी प्रकाशन
3. बी.एल.फड़िया, कुलदीप फड़िया ; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
4. हरीश कुमार खत्री ; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
5. डॉ. एस. सी. सिंघल ; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन
6. बी.सी.नरूला ; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस
7. यू.आर. धई ; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत और व्यवहार न्यू अकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी जालंधर